

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठारसीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

107/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2025/167

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

राजवीरसिंह पुत्र मदनसिंह

जाति राजपुरोहित

निवासी वावड़ी कल्ला

तहसील फलौदी हाल भीमरलाई

जिला बालोतरा

1. चौथाराम पुत्र करनाराम जाति कुम्हार

निवासी भीमरलाई तहसील पचपदरा

2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1
3. विप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक- 08.12.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी की ओर से मूलवाद वावत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कर विवादित भूमि ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 553/327 क्षेत्रफल 6.7987 हैक्टर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी के प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्ड सहखातेदार है। जिसमें सह खातेदारान के हिस्से भी खुले हुए हैं, लेकिन संयुक्त सहखातेदारी होने के कारण प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि में विप्रार्थीगण आए दिन दखलदान्जी करते रहते हैं तथा विवादित आराजी को प्रदान करने पर उतारू हैं। इस कारण प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं गीके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए स्थगन आदेश जारी करने बाबत इस्तदुआ चाही गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए विवादित भूमि पर न्यायालय के आदेश दिनांक 25.4.2025 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी गई कि विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थी की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्टर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से मूलवाद में अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह चंपावत द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया तथा वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित रहे।

3. हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने विप्रार्थी के विरुद्ध दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है, जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पूरी संभावना है। ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की सरहद में आई खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 553/327 क्षेत्रफल 6.7987 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/42 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या 1 का 41/42 है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 का उपरोक्तानुसार मौके पर कब्जा काश्त भी पृथक-पृथक है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में खाता शामिल नहीं दर्ज है। पक्षकारान के मध्य उक्त कृषि भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन होकर रेकर्ड में पृथक-पृथक इन्द्राज नहीं होने से बरसात के समय काश्त करने में असुविधा रहती है, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा नहीं होने से काश्त बोन के समय मनमुटाव की संभावना बनी रहती है, तथा भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु खाद देने, ऋण प्राप्त करने में भी प्रार्थीनी कठिनाई अनुभव कर रही है। प्रार्थी द्वारा कई बार विप्रार्थीगण को आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा कर खाते पृथक-पृथक करवाने का आग्रह किया तो विप्रार्थी द्वारा आना-कानी करने पर प्रार्थी की ओर से बंटवाड़ा का दावा श्री न्यायालय में पेश किया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि मौके पर प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी कर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं एवं जबरन उक्त भूमि का बिना विभाजन करवाये ही प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि से प्रार्थी को बैदखल करने पर आमदा है तथा विवादित आराजी को बेचान करने पर उतारू है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के संबध में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2025 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म फरमानें का आदेश पारित किया जावे।




सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

4. इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता की बहस है, कि प्रार्थी ने विप्रार्थी के विरुद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद-पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है, अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी का कोई कब्जा विवादित आराजी पर नहीं है। प्रार्थी ने गलत तौर से अपना नाम रिकॉर्ड में बिना कब्जे का दर्ज करवाया है। प्रार्थी का कभी भी कोई कब्जा न तो कभी रहा है और न है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा ही नहीं है, तो पृथक-पृथक काश्त करने या कब्जा होने के कथन गलत हैं, प्रार्थी को असुविधा होने का कथन गलत है। प्रार्थी की ओर से विवादित आराजी को बेचान नहीं किया गया है, जबकि प्रार्थी व उसके पिता के द्वारा मुझ प्रार्थी को झांसा देकर व 1 बीघा भूमि में से खड़ी निकालने कि किराए चिट्ठी का कहकर हस्ताक्षर करवाए थे तथा बाद में घोखे में रख कर रजिस्ट्री करवा दी गए। जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब उक्त अवैध दस्तावेजात के आधार पर वाद पेश किया गया तथा साथ ही हस्तगत प्रकरण पेश कर स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रार्थी स्थगन आदेश प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि प्रार्थी का विवादित भूमि में केवलमात्र 1 बीघा भूमि ही है, जबकि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश जारी करवा दिया गया है, जो कि प्रार्थी स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार भी नहीं है। इस कारण मूलवाद ही पोषणीय नहीं है, तो उस पर आधारित विविध प्रकरण किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं हैं। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र दुराशय की बदनियती से पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है, क्योंकि अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने वाले पक्षकार को न्यायालय में स्वच्छ हाथों से प्रकरण पेश करना न्यायहित में आवश्यक है, जबकि प्रार्थी व उसके पिता द्वारा वर्तमान प्रकरण में फाईड इंटेनशन से पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अंत में निवेदन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है, कि अस्थायी निषेधाज्ञा दौरान दावा जारी करने हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपुर्णिय क्षति प्रार्थी को अपने हक पक्ष में साबित करना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी अपने हक पक्ष में एक भी बिन्दु साबित



में सफल नहीं हुई है, इसलिए प्रार्थी कोई साम्यापूर्ण अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की सरहद में आई खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 553/327 क्षेत्रफल 6.7987 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरुद्ध अन्तरिम स्थगन आदेश


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जारी हो रखा है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा निरस्त योग्य है। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्वष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

6.(1) सर्वप्रथम प्रथम द्वष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है, के संबध में विवेचन किया जा रहा है, जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 553/327 क्षेत्रफल 6.7987 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त सह-खातेदारी में दर्ज है। जिसमें सह खातेदारान के राजस्व रेकर्ड में हिस्से भी खुले हुए है। प्रार्थी की ओर से मूलवाद बंटवाड़ा का पेश किया गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी वांछित अनुतोष मुताबिक बंटवाड़ा करवाने की हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी स्थगन आदेश को जारी रखवाने का हकदार नहीं है, क्योंकि प्रार्थी का मूलवाद बंटवाड़ा का है तथा प्रार्थी व विप्रार्थीगण विवादित आराजी के सह-खातेदार है। विवादित आराजी में सह-खातेदार के हिस्से भी खुले हुए है। प्रार्थी का विवादित भूमि में 1/42 हिस्सा है, जबकि विप्रार्थी संख्या 1 का 41/42 हिस्सा है। प्रार्थी का केवलमात्र 1/42 हिस्सा होने के उपरांत भी सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है, जो कि स्थगन आदेश को यथावत रखवाने का हकदार नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में सह-खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आर.आर.टी. 1969 पृष्ठ 373 एवं आर.आर.टी. 1978 पृष्ठ 638 में भी प्रतिपादित हैं:—कि सहकृषक के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती हैं एवं आर.आर.टी. 1981 पृष्ठ 295 में प्रतिपादित है:—कि जहां भूमि संयुक्त खातेदारी की हैं, वहां सहभागी द्वारा कीया गया हस्तान्तरण के संबध में केता के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। खातेदारान को स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने के कारण उनके हितों के साथ कुठराघात होगा। इस प्रकार विप्रार्थी पक्ष को स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने के कारण उनके हितों के साथ कुठराघात हुआ है। विवादित भूमि के संबध में जारी स्थगन आदेश को आगे ओर जारी रखा जाना विधि में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ही होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है।

6(ii). इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है, क्योंकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड सह-खातेदार है और रिकार्डेड सह-खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है। खातेदार अपने हक हकूक हिस्सा का उपयोग-उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय हाजा खातेदार को उसके हक हकूको से महरूम नहीं रख सकता है। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है, क्योंकि धारा 212 R.T.ACT प्रकरण में यह देखना है, कि मामला स्थगन

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश का बनता है अथवा नहीं, जो कि हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रखने का मामला बनता नहीं है। इस संबंध में आर.आर.टी.1978 पृष्ठ 377 सुकी खां बनाम मोहनसिंह वगैरा में प्रतिपादित है:—कि धारा 212 अधिकार अथवा स्वामित्व का निर्णय नहीं करना चाहिए, यदि धारा 212 के आधार तत्व न हो तो अस्थाई निषेधाज्ञा अनुचित है, जो कि हस्तगत प्रकरण पर चस्पा है, क्योंकि प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रखने का ऐसा कोई ठोस आधार बनता ही नहीं है। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

6(iii). जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है, वह भी बिन्दु विप्रार्थी के पक्ष में बनता है, क्योंकि प्रथम द्वष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन विप्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश जारी होने के कारण अपूरणीय क्षति भी विप्रार्थी पक्ष को हो रही है। इस प्रकार विप्रार्थी जो विवादित भूमि के रिकार्ड सह-खातेदार है और उन्हें स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है और हस्तगत प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवाने के कारण अपूरणीय क्षति विप्रार्थी को हो रही है। ऐसी सूरत में प्रार्थी स्थगन आदेश जारी रखवाने की हकदार नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है, कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्वष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2025 निरस्त योग्य होने एवं मूल प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

:आदेश:

8. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन व सारवान तथ्यों के आधार पर होने के कारण अस्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2025 को अपास्त किया जाकर, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।



आदेश आज दिनांक 08/12/2025 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार) 08/12/2025
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा